न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
114/2021	FSS ACT	22.09.2021	11.07.2025

1. श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

–आवेदक

बनाम

1. श्री अशोक मित्तल पुत्र श्री नेमीचंद मिततल, उम्र 50 वर्ष, जाति वैश्य, मैसर्सः– मित्तल मिष्ठान भण्डार, सीताराम बाजार, बाडी,धौलपुर निवासी बनिया पाडा, बाडी,धौलपुर
2. श्री पदम मिततल पुत्र श्री नेमीचंद मिततल, उम्र 50 वर्ष, जाति वैश्य, मैसर्सः– मित्तल मिष्ठान भण्डार, सीताराम बाजार, बाडी,धौलपुर निवासी बनिया पाडा, बाडी,धौलपुर

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय **दिनांक 11.07.2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अंतर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) 51 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 01.11.2020 को लगभग 11:30 AM पर मैसर्सः– मिततल मिष्ठान भण्डार, सीताराम बाजार, बाडी, धौलपुर पर पहुंचा वहां पर श्री अशोक मिततल पुत्र नेमीचंद मित्तल उम्र 50 वर्ष, जाति वैश्य, मैसर्सः– मित्तल मिष्ठान भण्डार, सीताराम बाजार, बाडी,धौलपुर निवासी बनिया पाडा, बाडी,धौलपुर उपस्थित था, को मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर अपना परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया मौके पर विक्रेता द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र की छायाप्रति पेश की तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया दुकान के शोकेस में विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ बर्फी (मावा मिठाई) लगभग 10 किलोग्राम रखा हुआ था मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर विक्रेता की उपस्थिति में नमूना वास्ते जांच लेने की सूचना फार्म नं0–5अ की प्रति स्वतन्त्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ बर्फी (मावा मिठाई) में से 02 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 500/—रूपये नकदी चुका कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है, उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये बर्फी (मावा मिठाई) को 02 किलोग्राम को चारा भागो में विभक्त कर साफ एवं सूखी कांच की बोतलो में भरकर 40—40 बूंदे फार्मिलिन की डालकर ढक्कन लगा कर एयर टाईट बंद किया मेरे द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक भाग पर एक—एक लेबल चिपकाया प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेट कर अभिहित अधिकारी धौलपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक डी—1931 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपका कर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना सील किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 06 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नम्बर 06 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्र वाहक पदम सिंह परमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक, अलवर को जमा करा कर अलग—अलग रसीद प्राप्त की गई जो कि आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म संख्या 06 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की प्रति के डी ओ (मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर) को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं खाद्य स्वास्थय अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/292 दिनांक 24.12.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच Report No. <u>L.S./813/Act/2020/885</u> Date:-19-11-2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ बर्फी (मावा मिठाई) सब स्टेण्डर्ड (SUB-Standard) पाया गया है। जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक एफएसएसए/2020/292 दिनांक 24.12.2020 की पालना में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्त ने सब स्टेण्डर्ड (SUB-Standard) खाद्य पदार्थ मावा विक्रय कर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की उपधारा 2(ii) का उल्लघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तत कर निवेदन है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त एवं उनके अभिभाषक ने दिनांक 06.06.2025 तक अपना जबाव पेश नहीं किया उन्हे कई अवसर दिये गये। सीधे बहस करनी चाही।

Scanned with OKEN Scanner

बहस अधिवक्ता अभियुक्त सुनी गई। आगे यह भी कथन किये गये कि स्टैण्डर्ड 40 है जबकि नमूनों में मानक 39.03 है बाकी शेष 08 पैरामीटर स्तर के अनुसार है। अभियुक्त द्वारा उक्त कार्य बहुत ही छोटे स्तर पर किया जाता है। अतः नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण को ड्रॉप फरमाए जाने हेतु निवेदन किया है।

हमारे द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न FOOD SAFETY & STANDERDS LABORATORY अलवर की Report No. L.S./813/Act/2020/885 Date:-19-11-2020 का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

"Opinion- The sample of "Proprietary food,Burfi Mithi (Prepared with Mawa &Sugar)" bring Code No- and Serial No- D-1931 of Designated officer come chief medical and Health officer,Dholpur is SUB- Standard food, U/s 3(1)(zx) of FS&S Act,2006. It dose not conform to the purity standards of proprietary Food, Burfi Mithi as per the provisions of FS&S Safety Rugulations 2011. BRR of extracted fatty matter is low, foreignfat has been used.FAT&SNF contents are low.

अभियुक्त द्वारा सब स्टेण्डर्ड (SUB-Standard) प्रकृति की खाद्य वस्तु का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। अभियुक्त द्वारा अंकित कथनो के सबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं किया है। अभियुक्त द्वारा की गई बहस व पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत है कि आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई कार्यवाही न्यायोचित है। अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अभियुक्त को 500/–(अक्षरे पांच सौ रूपये मात्र) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि में जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर में पेश करें अन्यथा बाद गुजरने म्याद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को व एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की एक प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

(हरि राम मीना) 11.07.25
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner